

बिहार विधान-सभा (वादवृत्त)

सरकारी प्रतिवेदन।

भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर

बुधवार, तिथि 26, जुलाई, 1989 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में बुधवार, तिथि 26 जुलाई, 1989 को पूर्वाह्न 9.00 बजे सभापति श्री भोला सिंह, स० वि० स० के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना,
तिथि 26 जुलाई, 1989

विश्वनाथ त्रिवेदी
सचिव
बिहार विधान सभा

कटोरिया पथ में द्वारिका स्थान के पास विजय नगर में श्री हरेन्द्र प्रसाद सिंह, एवं महेन्द्र प्रसाद सिंह पिता-स्व० भूप नारायण सिंह ने 10 फीट चौड़ी एवं आधा कि०मी० लम्बी सड़क की जमीन अपने कब्जे में कर लिया है, आवागन में काफी असुविधा होती है?

(2) यदि हाँ तो सरकार उक्त सड़क की जमीन को अतिक्रमण से कबतक मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

785 फीट लम्बाई में चहार-दिवारी निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। जो नक्शे के अनुसार $2\frac{1}{2}$ फीट से 1 फीट तक है। अतिक्रमण करने वालों का नाम एवं पता की जाँच की जा रही है।

(2) सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिये अतिक्रमण करने वालों पर मुकदमा करने की कार्रवाई की जा रही है।

पथ का मरम्मत

2982. श्री इन्द्रदेव प्रसाद :

क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान से तरवारा हरिहरपुर लालगढ़ पथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त है?

(2) क्या यह बात सही है कि फखरुद्दीनपुर से हरिहरपुर-लालगढ़ पथ पर सवारियों का चलना बंद है?

प्रभारी मंत्री :

(1) वस्तुस्थिति यह है कि तरवारा हरिहरपुर पथ पंचरूखी-लालगढ़ पथ का एक अंग है। इस पथ के फखरुद्दीनपुर से हरिहरपुर तक पथ कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया है।

(2) इस अंश में पथ की हालत अच्छी नहीं है। परन्तु यातायात चालू है।

(3) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार फखरुद्दीनपुर से हरिहरपुर-लालगढ़ पथ की सड़क की मरम्मत कराकर सिवान से हरिहरपुर पथ तक की सड़क का चौड़ीकरण करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?

(3) फखरुद्दीनपुर से लालगढ़ पथ की मरम्मत कार्य का निविदा आमंत्रित किया गया है, जिसके निष्पादन के पश्चात् इसी वर्ष मरम्मत का कार्यक्रम है। सिवान हरिहरपुर पथ चौड़ीकरण वित्तीय कमी के कारण संभव नहीं है।

पुल का निर्माण

2983. श्री राम विनोद पासवान : (1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बबरी प्रखंड के गुदार घाट पर पुल निर्माण का कार्य अधूरा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुल के निर्माण कार्य अधूरा रखने से उक्त इलाके की जनता को अत्यधिक कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार अधूरे पुल का निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

श्रीमती सुशीला केरकेट्टा :

(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि जनता की कठिनाई को देखते हुए वर्ष 1886-87 में रा.ग्रा.नि. कार्यक्रम मद से प्रखंड के माध्यम से प्रश्नाधीन पुल निर्माण